



राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्

राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्
प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी
ब्लॉक-5, द्वितीय एवं तृतीय तल

उपायुक्त (आर.ई.आई) कार्यालय, ब्लॉक-6, प्रथम तल,
डॉ. एस. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल परिसर, जे.एल.एन भार्ग, जयपुर
फोन:- 2706069, 2705937

E-mail : rddrei@gmail.com

क्रमांक:-राप्राशिप/जय/प्रवेशोत्सव/2018/ 1998

दिनांक ५/५/१८

जिला शिक्षा अधिकारी प्राशि एवं माशि
समस्त जिले।

अति. जिला परियोजना समन्वयक
सर्व शिक्षा अभियान एवं रमसा,
समस्त जिले।

ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, समस्त ब्लॉक
समस्त जिले।

पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, समस्त पंचायत
समस्त जिले।

विषय : समस्त अनामांकित/झाप आउट बच्चों को आंगनबाड़ी केन्द्रों/विद्यालयों में आयु
अनुरूप कक्षा में नामांकित कराने वाली पंचायत को झाप आउट फ्री “उजियारी
पंचायत” घोषणा हेतु आवेदन पत्र के संदर्भ में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपको प्रवेशोत्सव संबंधी विस्तृत दिशा निर्देश राज्य सरकार के पत्रांक **JAI/PFEE/ प्रवेशोत्सव/2018–19/ 244/ दिनांक 06.04.2018** द्वारा जारी किये गये है। सभी पंचायतों में समस्त बालक बालिकाओं को चिन्हित/सर्व कर आंगनबाड़ी एवं विद्यालयों से जोड़े जाने की प्रक्रिया प्रवेशोत्सव के प्रथम एवं द्वितीय चरण में पूर्ण की जानी है। प्रवेशोत्सव कार्यक्रम का द्वितीय चरण 19.06.2018 से 03.07.2018 तक आयोजित किया जाना है। प्रवेशोत्सव के दोनों चरण पूर्ण होने के पश्चात अनामांकित/झाप आउट बालक/बालिकाओं को आयु अनुरूप कक्षाओं में प्रवेश दिया जाकर विशेष शिक्षण के माध्यम से शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जाना है।

प्रवेशोत्सव के प्रथम एवं द्वितीय चरण में चिन्हित बालक/बालिकाओं को उनकी आयु अनुसार आंगनबाड़ी एवं विद्यालयों में प्रवेशित करवाया जाकर शाला दर्शन/दर्पण पोर्टल पर प्रविष्टि करवायी जानी अनिवार्य है।

झाप आउट फ्री पंचायत को “उजियारी पंचायत” घोषित किये जाने के संदर्भ में मानदण्ड
मय आवश्यक प्रपत्रों के अग्रिम कार्यवाही हेतु आपको पूर्व में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक 1787 दिनांक 24.05.2018 के द्वारा जारी किये जा चुके हैं। इसी क्रम में वर्ष 2018–19 के लिये उजियारी पंचायत की घोषणा हेतु आवेदन एवं भौतिक सत्यापन की समयावधि निम्नानुसार है –

- प्रवेशोत्सव प्रथम एवं द्वितीय चरण में बालक/बालिकाओं का चिन्हिकरण – 3 जुलाई 2018 तक
- चिन्हिकृत बालक/बालिकाओं का शाला दर्शन/दर्पण पोर्टल पर अपडेशन – 10 जुलाई 2018 तक
- उजियारी पंचायत हेतु आवेदन प्रस्तुतीकरण – 11 जुलाई से 20 जुलाई 2018 तक

4. उपखण्ड स्तरीय भौतिक सत्यापन – 5 अगस्त 2018 तक
5. जिला स्तरीय भौतिक सत्यापन – 20 अगस्त 2018 तक
6. जिला निष्पादक समिति द्वारा अनुमोदन – 30 अगस्त 2018 तक
7. उजियारी पंचायत की घोषणा एवं सम्मान – 5 सितम्बर 2018

अतः उजियारी पंचायत की घोषणा हेतु आवेदन एवं घोषणा संबंधी कार्यवाही उपरोक्तानुसार निश्चित समयावधि में किया जाना सुनिश्चित करें।


 (श्रावणी स्वर्णकार)
 राज्य परियोजना निदेशक
 राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान


 (डॉ. जोगा राम)
 आयुक्त
 राजथान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्

क्रमांक:-राप्राशिप/जय/प्रवेशोत्सव/2018/ १९७७

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

दिनांक २४/८/१८

1. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ट सहायक, मा. शिक्षा राज्य मंत्री महोदय, (स्वतंत्र प्रभार) राजस्थान सरकार।
3. विशिष्ट सहायक, मा. राज्य मंत्री महोदय, महिला एवं बाल विकास विभाग राजस्थान सरकार।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग राजस्थान।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग राजस्थान।
7. निजी सचिव, आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
8. निजी सचिव, निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग।
9. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग।
10. निजी सचिव, आयुक्त, राप्राशिप, जयपुर।
11. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, रमसा।
12. निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर।
13. समस्त जिला कलक्टर।
14. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् समस्त जिले।
15. समस्त उपखण्ड अधिकारी, राजस्थान।
16. राज्य सरकार द्वारा नामित समस्त शिक्षा विभागीय जिला प्रभारी, श्री/सुश्री/श्रीमती.....
17. समस्त विकास अधिकारी, पंचायत समितियां (समस्त ब्लॉक) राजस्थान।
18. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी, पंचायत समितियां (समस्त ब्लॉक) राजस्थान।
19. समस्त जिला प्रभारी अधिकारी एसएसए/रमसा, जयपुर।
20. रक्षित पत्रावली।

— ६ —

(सुरेश चन्द्र)
 अति. आयुक्त राप्राशिप एवं
 अति. राज्य परियोजना निदेशक रमसा

स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग

राजस्थान सरकार, जयपुर

क्रमांक : १८८

दिनांक : २५।५।१८

निदेशक माध्यमिक / प्रारम्भिक शिक्षा बीकानेर, राजस्थान।

निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर।

समस्त जिला कलकट्टर्स।

समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्।

समस्त उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग।

समस्त उपनिदेशक माध्यमिक / प्रारम्भिक शिक्षा समस्त शिक्षा संभाग।

जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक / प्रारम्भिक शिक्षा समस्त जिले।

विषय : समस्त अनामांकित / ड्रॉप आउट बच्चों को आंगनबाड़ी केन्द्रों / विद्यालयों में आयु अनुरूप कक्षा में नामांकित कराने वाली पंचायत को ड्रॉप आउट फ्री 'उजियारी पंचायत' घोषित किये जाने के संदर्भ में मानदण्ड।

संदर्भ : पूर्व पत्र क्रमांक JAI/PFEE/ प्रवेशोत्सव / 2018-19 / 244 / दिनांक 06.04.2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र के माध्यम से आपको प्रवेशोत्सव संबंधी दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। अब तक सभी पंचायतों में समस्त बालक बालिकाओं को चिन्हित कर / सर्वे कर आंगनबाड़ी एवं विद्यालयों से जोड़े जाने की प्रक्रिया पूर्ण कर प्रवेशोत्सव के प्रथम चरण का कार्य पूर्ण कर लिया होगा। प्रवेशोत्सव कार्यक्रम का द्वितीय चरण 19.06.2018 से 03.07.2018 तक आयोजित किया जाना है। प्रवेशोत्सव के दोनों चरण पूर्ण होने के पश्चात अनामांकित / ० ड्राप आउट पंचायत को उजियारी पंचायत घोषित किया जाना है।

ड्राप आउट फ्री पंचायत को उजियारी पंचायत घोषित किये जाने के संदर्भ में विस्तृत दिशा निर्देश / मानदण्ड मय आवश्यक प्रपत्रों के अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जा रहे हैं।

आप अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों / प्रधानाध्यापकों को यह निर्देशित करें कि वे नामांकन वृद्धि, अनामांकित एवं ड्रॉप आउट बच्चों को आंगनबाड़ी / विद्यालयों से जोड़ने हेतु कार्ययोजना बनाकर परिणाम आधारित कार्यवाही सुनिश्चित करें ताकि उनकी पंचायत ड्राप आउट फ्री पंचायत 'उजियारी पंचायत' घोषित हो सकें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

१८८
२५।५।१८
(नरेश माल गंगवार)
प्रमुख शासन सचिव

क्रमांक : १८८

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ट सहायक, मा. शिक्षा राज्य मंत्री महोदय, (स्वतंत्र प्रभारी) राजस्थान सरकार।
3. विशिष्ट सहायक, मा. राज्य मंत्री महोदय, महिला एवं बाल विकास विभाग राजस्थान सरकार।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग राजस्थान।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग राजस्थान।
7. निजी सचिव, आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
8. निजी सचिव, निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग।
9. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग।
10. निजी सचिव, आयुक्त, राज्य परियोजना निदेशक, रमसा।
11. समस्त उपखण्ड अधिकारी, राजस्थान।
12. समस्त विकास अधिकारी, पंचायत समितियां (समस्त ब्लॉक) राजस्थान।
13. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी, पंचायत समितियां (समस्त ब्लॉक) राजस्थान।
14. समस्त अति. जिला परियोजना समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान एवं रमसा।
15. समस्त बीईओ / पीईईओ।
16. रक्षित पत्रावली।

दिनांक : २५।५।१८

(शिवांगी स्वर्णकार)

राज्य परियोजना निदेशक

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान

(डॉ. जोगा राम)

आयुक्त

राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्

समस्त अनामांकित / ड्रॉप आउट बच्चों को आंगनबाड़ी केन्द्र / विद्यालय
में आयु अनुरूप कक्षा में नामांकित कराने पर ड्रॉप आउट फ्री
‘उजियारी पंचायत’ घोषित किये जाने हेतु मापदण्ड

1. प्रस्तावना

- 1.1 हमारा संविधान 14 आयु वर्ग तक के सभी बालक/बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने की घोषणा करता है। संविधान में घोषित लक्ष्य की प्राप्ति तथा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए सभी बच्चों को विद्यालयों से जोड़ने एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाने हेतु राज्य सरकार प्रतिबद्ध है।
- 1.2 5 से 18 आयु वर्ग के समस्त बालक—बालिकाओं को नामांकित करने के साथ ही उनका विद्यालय में ठहराव सुनिश्चित किया जाना भी महत्वपूर्ण है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शिक्षा विभाग के साथ साथ ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा अन्य सम्बन्धित विभागों का योगदान भी महत्वपूर्ण है।
- 1.3 वर्ष 2018–19 हेतु शिक्षा विभाग द्वारा इस सत्र की वार्षिक परीक्षा के समाप्ति के साथ ही नामांकन वृद्धि एवं ठहराव हेतु एक व्यापक अभियान चलाये जाने का निश्चय किया गया है। ऐसी पूर्ण नामांकन एवं ठहराव के लक्ष्य को प्राप्त करने वाली अनामांकन व ड्रॉप आउट फ्री पंचायतों को ‘उजियारी पंचायत’ के रूप में चिह्नित कर सम्मानित किया जायेगा।

“उजियारी पंचायत” की घोषणा हेतु मापदण्ड –

- 1.2.1 3 से 5/6 वर्ष के समस्त बालक—बालिका पूर्व प्राथमिक शिक्षा हेतु अपने निवास क्षेत्र की नजदीकी आगंनबाड़ी में नामांकित है।
- 1.2.2 5–6 आयु वर्ग के समस्त बालक—बालिका (आगंनबाड़ी में नामांकित/अनामांकित) का चिन्हिकरण किया जाकर उनका नामांकन कक्षा 1 में करवा दिया गया है।
- 1.2.3 कक्षा 5/8/10 उर्तीण अथवा इनकी परीक्षा में प्रविष्ट 80 प्रतिशत से अधिक बालक—बालिकाओं का चिन्हिकरण किया जाकर उनका नामांकन क्रमशः कक्षा 6/9/11 में करवा दिया गया है एवं उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य कक्षाओं में उर्तीण होने वाले बालक—बालिकाओं का नामांकन अगली कक्षा में करवा दिया गया है।

- 1.2.4 यदि कोई विद्यार्थी 45 दिन या उससे अधिक अवधि के लिए विद्यालय से अनुपस्थित नहीं रहा है और यदि रहा है तो उसे पुनः आयु अनुरूप कक्षा में प्रवेश दिलाकर शिक्षण कार्य करवाया जा रहा है।
- 1.2.5 हाउस होल्ड सर्वे के दौरान चिन्हित समस्त आउट ऑफ स्कूल (अनामांकित / द्वापआउट) बच्चों को विशेष शिक्षण करवाया जाकर आयु अनुरूप कक्षा में प्रवेश दिया गया हैं एवं वे कक्षा में प्रवेशित और अध्यनरत हैं।
- 1.2.6 पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (पीईईओ) कार्यालय में 0 से 18 वर्ष के पंचायत क्षेत्र के समस्त बालक-बालिकाओं का हाउस होल्डवार सर्वे रिकोर्ड संधारण किया हुआ हो।
- 1.2.7 पंचायत को उजियारी पंचायत की घोषणा की प्रक्रिया प्रत्येक वर्ष की जायेगी।

आवेदन एवं सत्यापन प्रक्रिया –

- 1.3.1 उजियारी पंचायत घोषणा के लिये आवेदन जुलाई माह में आमंत्रित किये जायेंगे एवं प्राप्त आवेदनों का दो चरणों में क्रमशः ब्लॉक एवं जिला स्तर से गठित समिति द्वारा भौतिक सत्यापन किया जायेगा।
- 1.3.2 उजियारी पंचायत घोषणा हेतु आवेदन पत्र पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा भरा जावेगा।
- 1.3.3 आवेदन पत्र सरपंच, पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (पीईईओ), पंचायत सचिव एवं महिला पर्यवेक्षक (आईसीडीएस) द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित किया जायेगा।
- 1.3.4 उजियारी पंचायत की घोषणा हेतु आवेदन प्रस्ताव ग्राम समा की मासिक बैठक में अनुमोदन कराया जावेगा तत्पश्चात ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (बीईईओ) को प्रेषित किया जावेगा।
- 1.3.5 आवेदन के साथ पंचायत के किसी भी ग्राम में 3 से 5/6 वर्ष का कोई भी बच्चा आंगनबाड़ी में नामांकन एवं 5/6 से 18 वर्ष का बच्चा विद्यालय में नामांकन से वंचित नहीं है के आशय का सरपंच, पीईईओ, पंचायत सचिव एवं महिला पर्यवेक्षक के संयुक्त हस्ताक्षर वाला प्रमाण-पत्र भी संलग्न किया जावेगा। (प्रमाण पत्र का प्रारूप संलग्न)
- 1.3.6 उपखण्ड अधिकारी द्वारा गठित ब्लॉक स्तरीय तीन सदस्यीय समिति द्वारा ब्लॉक स्तर पर प्राप्त समस्त आवेदनों का भौतिक सत्यापन किया जायेगा। इस समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे –

1. बीईईओ / एबीईईओ
 2. आवेदित पंचायत से भिन्न पंचायत का पीईईओ
 3. उपखण्ड अधिकारी द्वारा नामित सदस्य
- 1.3.7 ब्लॉक स्तरीय भौतिक सत्यापन दल सत्यापन की तिथि के संबंध में सम्बन्धित पीईईओ को पूर्व सूचना देगा।
- 1.3.8 भौतिक सत्यापन के समय सम्बन्धित पंचायत के सरपंच एवं सम्बन्धित वार्ड के वार्डपंच को भी यथासम्भव साथ रखा जावें और इस बाबत सम्बन्धित पीईईओ द्वारा उन्हें पूर्व में सूचित किया जायेगा।
- 1.3.9 पंचायत से प्राप्त आवेदन पर भौतिक सत्यापन दल पंचायत के कम से कम 25 प्रतिशत या न्यूनतम 4 विद्यालय एवं 4 आंगनबाड़ी जो भी अधिक हो में उपलब्ध सर्वे रिकोर्ड का सत्यापन भौतिक स्थिति से करेगा।।
- 1.3.10 आवेदनों के भौतिक सत्यापन के दौरान सम्बन्धित पंचायत के पीईईओ कार्यालय में उपलब्ध हाउस होल्ड सर्वे रिकोर्ड में से ऐण्डमली 5 प्रतिशत सर्वे प्रपत्र लिये जाकर सम्बन्धित घरों में बालक—बालिकाओं की वस्तु स्थिति (हैड कारउटिंग) का मिलान आंगनबाड़ी एवं विद्यालय (सरकारी एवं निजी) के रिकोर्ड से किया जायेगा।।
- 1.3.11 भौतिक सत्यापन के दौरान सर्वे में हाउस हाल्ड के साथ—साथ अन्य बसावट जैसे गाँव के आस—पास गाड़िया लुहार, ईट भट्टा, बस स्टैण्ड, गाँव से दूर ढाणी, पूरबा, मजरा आदि को भी समिलित जाकर भौतिक सत्यापन किया जावें।।
- 1.3.12 सत्यापन दल द्वारा प्रमाणिक रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी को प्रेषित की जावेगी। उपखण्ड अधिकारी द्वारा उक्त सत्यापन रिपोर्ट जिला कलक्टर को प्रेषित की जायेगी एवं उसकी एक प्रति जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा को भी भिजवायी जावें।।
- 1.3.13 जिला कलक्टर द्वारा ब्लॉकवार तीन सदस्यीय समितियों का गठन किया जायेगा। इस समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे –
1. जिला शिक्षा अधिकारी माशि/प्राशि/एडीईओ/एडीपीसी (एसएसए/ रमसा)
 2. भिन्न पंचायत समिति की पंचायत का पीईईओ
 3. कलक्टर द्वारा नामित सदस्य
- 1.3.14 जिला स्तरीय समिति द्वारा भौतिक सत्यापन में उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा किये गये भौतिक सत्यापन रिपोर्ट की मौके पर पूर्ण जांच की जायेगी तथा पंचायत के 25 प्रतिशत विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी अथवा न्यूनतम 2 विद्यालय एवं 2 आंगनबाड़ी (जो भी अधिक

हो) में उपलब्ध रिकोर्ड का भौतिक स्थिति से मिलान करते हुये उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट से भी मिलान किया जायेगा।

1.3.15 जिला कलक्टर द्वारा गठित ब्लॉकवार समितियां भौतिक सत्यापन पश्चात अनुशंसा रिपोर्ट डीईओ माध्यमिक को प्रेषित करेगी।

1.3.16 डीईओ माध्यमिक द्वारा उक्त रिपोर्ट को जिला निष्पादक समिति की बैठक में अनुमोदन हेतु रखा जावेगा।

1.3.17 जिला निष्पादक समिति की बैठक में भौतिक सत्यापन रिपोर्ट पर चर्चा एवं अनुमोदन पश्चात मानदण्डानुसार सम्बन्धित पंचायत को उजियारी पंचायत घोषित करने हेतु अनुमोदन किया जावेगा।

उजियारी पंचायत की घोषणा

1.4.1 आवेदित, सत्यापित एवं जिला निष्पादक समिति में अनुमोदित पंचायत को “उजियारी पंचायत” घोषित किया जायेगा एवं घोषणा प्रमाण पत्र जिला स्तरीय सम्मान समारोह 15 अगस्त/5 सितम्बर/26 जनवरी में दिया जावेगा।

1.4.2 उजियारी पंचायत घोषणा का प्रमाण पत्र जिला स्तरीय सम्मान समारोह में सम्बन्धित पीईईओ कार्यालय को दिया जावेगा।

1.4.3 उजियारी पंचायत घोषणा कार्य में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्मिक/कार्यालय को ब्लॉक/जिला स्तरीय सम्मान समारोह में 15 अगस्त/5 सितम्बर/26 जनवरी को सम्मानित किया जाकर उत्कृष्ट प्रमाण पत्र दिया जावेगा।

1.4.4 उजियारी पंचायत घोषणा पश्चात पंचायत के पंचायत भवन एवं पंचायत के सभी विद्यालयों पर “अनामांकित/झाप आउट फ्री उजियारी पंचायत” लिखवाया जावे।

1.4.5 राज्य सरकार की विभागीय योजना क्रियान्वयन में प्राथमिकता उजियारी पंचायत को दी जावेगी।

झाप आउट प्री ‘उजियारी पंचायत’ की घोषणा
 (यह प्रपत्र पंचायत द्वारा आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जावे)

मैं..... सरपंच ग्राम पंचायत..... मैं.....
 पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, ग्राम पंचायत..... मैं.....
 ग्राम सचिव, ग्राम पंचायत..... मैं.....
 महिला पर्यवेक्षक (ICDS) ग्राम पंचायत..... हम संयुक्त रूप से
 घोषणा करते हैं कि हमारी ग्राम पंचायत..... ब्लॉक.....
 जिला..... में 0 से 18 वर्ष के समस्त बालक-बालिकायें अपनी आयु के
 अनुरूप आंगनबाड़ी/विद्यालय में नामांकित एवं अध्यनरत हैं और कोई भी बालक-बालिका
 झाप आउट अथवा अनामांकित नहीं है तथा पंचायत में 0 से 18 वर्ष तक के कुल बच्चों की
 संख्या निम्नानुसार है –

0 से 3 वर्ष	3 से 6 वर्ष	6 से 14 वर्ष	14 से 18 वर्ष	कुल बच्चों की संख्या

महिला पर्यवेक्षक

नाम

ग्राम सचिव

नाम.....

पीईईओ

नाम..... नाम.....

सरपंच

विद्यालय का नाम

प्रमाण-पत्र

उजियारी पंचायत

अनामांकित/ड्रॉप आउट फ्री ग्राम पंचायत

प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम पंचायतमें
कोई भी बालक-बालिका जो 3 से 18 वर्ष की उम्र का है शिक्षा से
वंचित नहीं है। और न ही कोई बालक-बालिका अनामांकित/ड्रॉप
आउट है।

पंचायत से प्राप्त घोषणा पत्र एवं जाँच समितियों की रिपोर्ट के
आधार पर ग्राम पंचायत..... ब्लॉक.....
जिला..... को शैक्षिक सत्र
के लिये अनामांकित/ड्रॉप आउट फ्री पंचायत “उजियारी पंचायत”
घोषित किया जाता है।

यह प्रमाण पत्र आज दिनांक.....को जारी किया
जाता है।

जिला कलक्टर एवं जिला मस्ट्रेट
जिला.....

ऐण्डम सर्वे प्रपत्र

क्र.	चालक / बालिका का नाम	आयु	लिंग	पिता का नाम	माता का नाम	हाउस होल्ड नम्बर	वार्ड नम्बर	एजेस्ट्री प्रास/डाणी/अन्य	नामांकित / अनामांकित / श्रेष्ठ आउट	अनामांकित / श्रेष्ठ आउट है तो मुख्यार्थ से जुड़ाव (हैं/ नहीं)	यदि नामांकित है तो विद्यालय का नाम	अनामांकित / श्रेष्ठ आउट है तो विद्यालय का नाम	कक्षा